

प्रेषक,  
रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ:दिनांक 31 मार्च, 2020

विषय:- नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉक डाऊन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु स्थापित अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल/अस्पताल/होम क्वारंटाइन की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु गृह विभाग/चिकित्सा एवं राजस्व विभाग द्वारा विचार विमर्श कर 04 नये प्रारूप तैयार किये गये हैं। अतः पूर्व में निर्गत किये गये समस्त प्रारूपों को अवकमित करते हुए उक्त 04 नये प्रारूप संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा है कि नये प्रारूप Excel Sheet के अनुसार ही सूचना प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक rahat@nic.in ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोक्त।

प्रारूप Q-01 पर सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा जनपदों से सूचना प्राप्त कर राज्य स्तर पर भरा जायेगा।


प्रारूप Q-02 पर सूचना जनपद स्तर पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के समन्वय से भरा जायेगा।

प्रारूप Q-03 पर सूचना जनपद स्तर पर नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के समन्वय से भरा जायेगा।

प्रारूप Q-04 पर सूचना जनपद स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भरा जायेगा।

नोट- जनपदों से प्रेषित की जाने वाली सूचना कन्ट्रोल रूम के प्रभारी के हस्ताक्षर से प्रेषित की जाये।

भवदीया

  
31/3/2020  
(रेणुका कुमार)  
अपर मुख्य सचिव

**संख्या- 209 (1)/एक-11-2020. तददिनांक**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव(गृह), उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/कृषि/पशुपालन एवं दुग्ध विकास/पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)  
सचिव।



ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(जनपद स्तर पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के समन्वय से भरा जायेगा)

क्र०सं०	जिला	गाँवों की संख्या	होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की संख्या	
			आज कितने हुये	आज तक कितने हुये
1	2	3	4	5

## शहरी क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(जनपद स्तर पर नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के समन्वय से भरा जायेगा)

क्र०सं०	जिला	नगर इकाई का नाम	होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की संख्या	
			आज कितने हुये	आज तक कितने हुये
1	2	3	4	5

अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल (Shelter Home) में क्वारंटाइन व्यक्तियों की सूचना

जनपद का नाम:-

दिनांक:-

(जनपद स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्र०सं०	जनपद में स्थापित किए गये अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थलों की संख्या	प्रत्येक अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थलों का पता (अलग-अलग)	प्रत्येक स्थल की क्षमता तथा किस स्तर का है (जनपद/ब्लाक/गाँव)	अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थलों के इंचार्ज का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नं०	अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति		व्यक्तियों की संख्या	
					आज कितने हुये	आज तक कितने हुये	आज कितने हुये	आज तक कितने हुये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1-चिकित्सीय सुविधा	हाँ/ नहीं		
					2-शौचालय की सुविधा	हाँ/ नहीं		
					3-बिस्तर की व्यवस्था	हाँ/ नहीं		
					4-पेयजल की व्यवस्था	हाँ/ नहीं		
					5-सैनिटाइजर/ साबुन की व्यवस्था	हाँ/ नहीं		
					6-भोजन की व्यवस्था	हाँ/ नहीं		
					7-निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था	हाँ/ नहीं		
					8-सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन	हाँ/ नहीं		

नोट- कॉलम संख्या 8 एवं 9 की सूचना अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पवार/आश्रय स्थलवार प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक [rahat@nic.in](mailto:rahat@nic.in) पर ईमेल पर प्रेषित की जाय।

फुटनोट- 6(1) मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान कितने व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाये गये:-

(2) कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया:-